1. यह दावा/प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136
का द्वारा श्री अजय कुमार को द्वारा प्रस्तुत हुआ है।
2. कोर्ट फीस पूर्ण है।
3. क्षेत्राधिकार में अर्थाधिकार में है।
4. दस्तावेज [illegible] है।
5. वाद द्वितीय [illegible] है। रिपोर्ट अवलोकनार्थ सादर प्रस्तुत है।

श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय — शाखा लिपिक/रीडर

समन जारी करें 19-9-22 19-9-22

19-9-22 वकील प्रार्थी उप०। इतजार तामील अप्रार्थी दिनांक 12-10-22 को पेश हो। प्रा० पत्र दर्ज रजि० हो।

12-10-22 वकील प्रार्थी उप०। अप्रार्थी की तामील हो चुकी है। वास्ते जवाब प्रार्थना पत्र दिनांक 1-11-22 को पेश हो।

1-11-22 पत्रावली पेश हुई। पी.ओ. साहब अन्य कार्य में व्यस्त हैं/~~बाहर पधारे हैं~~। उभयपक्ष के अभि.उप. आयन्दा दिनांक 9-11-22 को पेश हो।
रीडर

9-11-22 वकील प्रार्थी उप०। शायद दिनांक 14-11-22 को वास्ते जवाब सरकार के पेश हो।

14-11-22 वकील प्रार्थी उप०। वकील प्रार्थी को सुना गया। तहसीलदार की अभिशंसा के अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। स्व घोषित किया जाता है कि आराजी ख० न० 155 रकबा 0.2100 हे० का 16/63 भाग वाके ग्राम बरसईजगत तहसील किशनगढबास में प्रार्थी का नाम सोहनलाल S/o हजारीलाल के स्थान पर सोहनपाल S/o हजारीलाल किया जाने के आदेश दिये जाते हैं। तदनुसार ही राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो। निर्णय की प्रति पालनार्थ तहसीलदार किशनगढबास को भिजवाई जावें। प्रार्थना पत्र फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।
14/11/22
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढबास (अलवर)